मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा / 2018–19 / 868 भोपाल दिनांक 07 जून 2018

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

2. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त),
.... जिला ....(म0प्र0)

विषयः–ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन मॉडयूल अंतर्गत पाक्षिक विवरण पत्रक, भुगतान पत्रक, प्रदेश के बाहर से क्रय एवं बिलों के आधार पर छोटी मात्रा में निर्गमित कृषि उपज की प्रविष्टि के संबंध में।

–0–

दिनांक 05 मई 2018 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय में सम्पन्न आंचलिक संयुक्त / उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक में दिनांक 01 जुलाई 2018 से प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों में एक साथ ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल का ऑनलाईन क्रियान्वयन आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस कार्य में लगे मण्डी कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के रुप में ई–अनुज्ञा प्रणाली में अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी दी जाकर कार्य करने का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चरणबद्ध तरीके से दिनांक 24 मई 2018 से 02 जून 2018 के मध्य भोपाल में पूर्ण किया गया है।

(02) दिनांक 01 जुलाई 2018 से लागू की जाने वाली ऑनलाईन अनुज्ञापत्र प्रणाली में व्यापारी के खाते में दिनांक 30 जून 2018 तक मण्डीशुल्क / निराश्रित सहायता राशि चुकाये हुये कृषि उपज के स्कंध (स्टॉक) को ही व्यापारी के खाते में दर्ज कर सत्यापन उपरांत ही व्यापारी को प्ररूप 10 अनुसार अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में माह जून 2018 में व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले पाक्षिक विवरण पत्रक (दिनांक 01 जून 2018 से 15 जून 2018 तक एवं दिनांक 16 जून 2018 से 30 जून 2018 तक) से ही व्यापारी के पास उपलब्ध प्रारंभिक स्कंध (स्टॉक), पक्ष में क्रय स्कंध (स्टॉक) तथा पक्ष में विक्रय स्कंध (स्टॉक) के आधार पर ही कुल / शेष स्कंध (स्टॉक) की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दिनांक 30 जून 2018 उक्त प्रणाली में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि (Dead Line) है। अतः इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु मण्डी समिति के व्यापारियों में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

(03) मण्डी सचिव अपनी मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से माह जून 2018 अर्थात दिनांक 01 जून से 15 जून 2018 तक व दिनांक 16 जून से 30 जून 2018 तक की अवधि की पाक्षिकी

Landeep

विवरण पत्रक दिनांक 30 जून 2018 तक अपवादिक/अनिवार्य रुप से प्राप्त करेगें व पाक्षिकी में से जिन्सवार पृथक पृथक प्रविष्टि ई–अनुज्ञा प्रणाली पाक्षिक विवरण स्कीन में व्यापारी के खाते में दर्ज करावेंगे। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के खाते में जिन्सवार स्कंध (स्टॉक) की जानकारी दिनांक 30 जून 2018 की स्थिति में दर्ज कर सत्यापित करली जावे। दिनांक 16 जून 2018 से 30 जून 2018 की पाक्षिक अनुसार दर्ज कुल/शेष उपलब्ध स्कंध (स्टॉक) व्यापारी के खाते में सत्यापन उपरांत जोड़ा जाकर व्यापारी के द्वारा प्रस्तुत प्ररूप–दस के अनुसार ही अनुज्ञापत्र जारी हो सकेगा। ताकि दिनांक 01 जुलाई 2018 से ऑनलाईन अनुज्ञा पत्र सुचारु रुप से जारी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो।

(04) दिनांक 01 जुलाई 2018 से प्रतिदिन अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा घोष विकय में कय की गई उपज का भुगतान विकेता को हो जाने के उपरांत व्यापारी द्वारा जारी किये जाने वाले भुगतान पत्रक (बिकी प्रमाणक) व प्रदेश के बाहर से आयातित कृषि उपज का स्कंध (स्टॉक) तथा प्राप्त मण्डीफीस भुगतान की प्रविष्टि पोर्टल पर करते हुये सत्यापित करे। बिलों के माध्यम से छोटी छोटी मात्रा में विकय की जाने वाली कृषि उपज की प्रविष्टि भी प्रतिदिन नियमित रूप से ई–अनुज्ञा प्रणाली पर उपलब्ध स्कीन पर संबंधित व्यापारी के खाते में कराया जाना सुनिश्चित करें। जिससे व्यापारी के खाते में उसके द्वारा कृषि उपज के कय–विकय की स्थिति अद्यतन होती रहे। कृषि उपज के प्रतिदिन कय–विकय की स्थिति अद्यतन होने पर ही ई–अनुज्ञापत्र जारी करने में सुगमता होगी।

अतः उपरोक्त कार्यवाही अंतर्गत निर्देशों का बिना चूक समय सीमा में पालन सुनिश्चित किया जावे एवं इस पत्र की प्रति मण्डी के सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्रदान की जाये एवं पावति ली जाये।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–5/2/ई–मण्डी व ई–अनुज्ञा/2018–19/869 भोपाल दिनांक 07 जून 2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

(2) अपर संचालक (वित्त)/अपर संचालक (एम0आई0एस0 व नियमन)/अपर संचालक (प्रशिक्षण)/अपर संचालक (योजना) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(3) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल